

न्यायालय—अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरौवस्वत्व वाद सं० 56 / 2020

रमेश यादव वगै०.....वादीगण ।

बनाम्

बिहारी यादव वगै०..... प्रतिवादीगण ।

**आदेश****25.04.2024**

वादी की पैरवी है। वादी के तरफ से दिनांक— 17.02.2020 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 वो 2 दफा 151 सी० पी० सी० पर आज आदेश हेतु नियत है जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के वादीगण आपस में सहोदर भाई हैं तथा विवादित एराजी के दखल कब्जे में चले आते हैं तथा वादी द्वारा अर्जीदावी के जमीमा नं० 2 में दर्ज विवादित एराजी के निश्चत प्रतिवादीगण के खिलाफ अतिक्रमित भूमि को मुक्त करके दखल कब्जा दिलाये जाने के लिए दायर किया है। साथ ही इम्तनाई की भी मांग वादी द्वारा की गई है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिवादीगण को इस वाद की जानकारी होने के बावजूद विवादित स्थल पर निर्माण सामग्री इकट्ठा कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विवादित एराजी का हाल सर्वे खतियान वादीगण के नाम से सही तरीके से बना है, लेकिन प्रतिवादीगण जबर्दस्ती अतिक्रमण करने तथा पक्का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं तथा यह भी कथन करते हैं कि प्रथमदृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इम्तनाई आदेश पारित नहीं होने से वादीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी तथा अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इम्तनाई आदेश जारी कर विवादित स्थल पर मुकदमें के फैसले तक यथास्थिति कायम करने का आदेश पारित किया जाये।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक—04.12.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी ने अपने अर्जीदावी के जमीमा नं० 2 में मौजा शिवपुर, दियर चक्की थाना नं० 94/471 खाता सं० 860, खेसरा 2156, रकबा 16 डी० को विवादित बनाया है। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का

लगातार

25.04.2024

अपने अपने हिस्से रकबा में आवासीय मकान अवस्थित है तथा प्रतिवादीण का ईट निर्मित आवासीय मकान चालीस वर्ष पुराना है तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवादित एराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विवादित एराजी पुराने सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम से दर्ज थी जिसमें वादीगण और प्रतिवादीगण के पूर्वज राजगृही यादव आवास मकान बनाकर रह रहे थे तथा उनके मरने के बाद तीनों फरीकैन राजगृही यादव द्वारा बनाये गये आवासीय मकान को अपने हिस्से रकबा के अनुसार बांट लिये तथा बंटवारा में तीनों फरीकैन को दो दो कमरा मिला जो स्थल पर आज भी मौजूद है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि नये सर्वे के दौरान वादीगण ने प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुये सर्वे अमलेगान को मेल में लाकर अपने नाम सर्वे इन्द्राज करा लिया तथा न्यायालय में यह झूठा मुकदमा दाखिल किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रथमदृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है तथा निषेधाज्ञा आदेश पारित होने से प्रतिवादीगण को अपूर्ण्य क्षति होगा तथा अनुरोध करते हैं कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक— 17.02.2020 को खारिज किया जाये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इम्तनाई पर सुनवाई से इन्कार किये तथा आदेशफलक पर प्रतिवादी के तरफ से नो इन्स्ट्रक्शन अंकित किये। अभिलेख का अवलोकन किया। उपरोक्त आवेदन को निस्तारण करने के लिए तथा निषेधाज्ञा आवेदन के लिए निर्धारित तीन बिन्दुओं का विचारण किया जायेगा।

**प्रथमदृष्टया मामला:-** आदेश 39 नियम 1 वो 2 धारा 151 सी० पी० सी० के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया मामला साबित करने के लिये वादी को यह साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वादी अपना स्वत्व संदेह से परे साबित करे, अपितु इतना ही पर्याप्त है कि वादी एक विधिसम्मत प्रश्न विवादित सम्पत्ति के सम्बंध में न्यायालय के समक्ष रखने में समर्थ हो। वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में मौजा शिवपुर दियर चक्की थाना ब्रह्मपुर, थाना नं० **94/471** खाता सं० 860, प्लाट सं० 2156, रकबा 16 डी० के खतियान की छायाप्रति दाखिल किया है जिसमें रैयती

लगातार

25.04.2024

कॉलम में रामजी यादव पिता राजगृह यादव का नाम अंकित है तथा जमीन का किस्म मकान मय सहन अंकित है। रामजी यादव वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 राजगृह यादव के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी सं० 3 दूधनाथ यादव के पुत्र हैं। वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु लाया है। इस वाद में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हुई थी जिसमें अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि विवादित जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। विवादित जमीन का हाल सर्वे खतियान में वादीगण के पिता का नाम रैयती कॉलम में है जिसमें जमीन का किस्म मकानमय सहन दर्ज है। दूसरी तरफ प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल शो कॉज में कहा गया है कि प्रतिवादीगण का घर 40 साल पुरान है तथा उनके अपने हिस्से में है तथा विवादित जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। यह विवादित जमीन खतियान के अनुसार वादीगण का है। अतः प्रथम दृष्टया केस वादी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है।

**2 एवं 3 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति :-** सुविधा का संतुलन साबित करने के लिए उभय पक्षों के द्वारा किये गये कथन तथा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से पता चलता है कि वादी ने यह वाद विवादित एराजी के निश्वत प्रतिवादीगण के खिलाफ अतिक्रमित भूमि को मुक्त करके दखल कब्जा दिलाये जाने के लिए दायर किया है। अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। उस पर तीन रूम का निर्माण कार्य लिंटर तक चला है। इस वाद में अभी तक वादीगण या प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं कराई गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमित किया गया है अथवा नहीं। परन्तु यह भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वहां निर्माण कार्य चल रहा है जिससे विवादित जमीन की प्रकृति बदल जाएगा तथा विवादित जमीन का खतियान में जमीन की प्रकृति मकानमय सहन है। अतः उभय पक्षों का विवादित जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने से अगले 60 दिनों के लिए रोका जाता है। उभय पक्ष विवादित जमीन पर 60 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखें। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि इस बीच सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति कराके विवादित जमीन का वैज्ञानिक नापी करावें ताकि स्पष्ट हो कि विवादित जमीन पर कोई अतिक्रमण है अथवा नहीं। इस आदेश का

लगातार

25.04.2024

प्रथाव 60 दिनों में स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इस इम्तनाई आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम आदेश सर्वे जानकार अधिवक्ता का प्रतिवेदन आने के पश्चात किया जाएगा।

दिनांक- 10.06.2024 वास्ते उपस्थिति एवं सुनवाई।

लेखापित

ह0/-

(राकेश कुमार राकेश)

सब जज प्रथम, डुमराँव ।